न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा (खैरथल–तिजारा राज0
पीठासीन अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
57/25	04.08.2025	11/08/2026

बउनवान :–

1– भूपसिंह पुत्र श्री परसादी

2– सुमनदेवी पुत्री श्री भूपसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

———:: प्रार्थीगण

बनाम

1–राज्य सरकार, जरिये पैरोकार भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

2–अमरसिंह पुत्र श्री डालूराम जाति अहीर निवासी ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा

3–नगर विकास न्यास भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा जरिये सचिव

4– बलवन्त

5– बहादर

6–सतबीर पुत्रान श्री दीपचन्द जाति अहीर निवासीगण ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा

———::अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
–:: निर्णय ::–

दिनांक 11/08/2026

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर 452/173 रकबा 0.2000 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नं. 454/175 रकबा 0.1200 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा में स्थित है। जो आराजी प्रार्थीगण की तन्हा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में शामलात का अंकन दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजी की जमाबन्दी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण जो कि आपस में पिता–पुत्री है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की हाल आराजी खसरा नम्बर 452/173 रकबा 0.2000 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नं. 454/175 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

0.1200 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा के साथ अप्रार्थी सं. 2 की हाल आराजी खसरा नं. 455/175 रकबा 0.0600 हैक्टेयर व अप्रार्थी सं. 3 की हाल आराजी खसरा नं. 177 रकबा 0.1000 हैक्टेयर किस्म गैर.मु. रास्ता तथा अप्रार्थी सं. 4 लगायत 6 की हाल आराजी खसरा नं. 483/172 रकबा 0.1850 हैक्टेयर भूमि है, जो कि प्रार्थीगण से दिली रंजिश रखते है और अपनी आराजी की आड में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को जबरन अपनी आराजी में मिलाने को प्रयासरत रहे है। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी तहसीलदार, को आवेदन पेश कर अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की पैमाईश कराने का निवेदन किया। तहसीलदार टपूकडा के आदेश क्रमांक 52 दिनांक 05.07.2024 की अनुपालना में हल्का पटवारी व कानूनगो दिनांक 10.10.2024 को प्रार्थीगण की उक्त हाल आराजी खसरा नम्बर 452/173 रकबा 0.2000 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नं. 454/175 रकबा 0.1200 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा का सीमाज्ञान करने के लिए मौके पर पहुँचा। मौके पर प्राथीगण उपस्थित हुए। मौके पर मु० नक्शा लटठा के खसरा नं. 202, 201, 206, 203 के बीच बने चीमेठा एवं रीको की दीवार से एवं राजस्व ग्राम बनबीरपुर की सीमा से लगते हुए ग्राम हुसींगपुर के नक्शा लटठा में खसरा नं. 329, 333, 331 के बीच बने तिमडे, खसरा नं. 274 गैरमु चाह से ज़रीब चलाकर खसरा नं. 45/173. 454/175 का मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर उपस्थित खातेदारो को सीमा से अवगत करवाया गया। आवेदनकर्ता सीमाज्ञान से सन्तुष्ट हुए। मौका पर्चा मौके पर तैयार कर पढ़कर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर अगूंठा कराये गए। मौके पर मौका पर्चा तैयार कर पढ़कर सुना गया। जिस मौका पर्चा सीमाज्ञान की प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त आराजी के पड़ौसी काश्तकारान अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 6 जो कि बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के हिस्से की भूमि को मिलाकर प्रार्थीगण के हकूको को जायल करने की जुस्तजू में है तथा पूर्व पैमाईश व मौका पर्चा को मानने को तैयार नहीं है। जबकि जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी से पडौसी काश्तकारान का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी, की पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसलिए प्रार्थीगण को न्याय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (लैण्ड रेवेन्यु एक्ट) पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 10.10.2024 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 452/173 रकबा 0. 2000 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नं. 454/175 रकबा 0.1200 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा की पत्थरगढ़ी कराई जावें। आपकी महति कृपा होगी।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 समन नोटिस तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार टपूकडा द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 जिस कदर बयान किया गया उसे प्रार्थी अपने दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड एवं सबूतो से स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 02 जिस कदर बयान किया गया है वो गलत है स्वीकार नही प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। सीमाज्ञान से संबंधित बिन्दु रिकॉर्ड आफ राईट का विषय है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 03 जिस कदर बयान किया गया है वो गलत है, प्रार्थी अपने राजस्व रिकॉर्ड एवं संबंधित दस्तावेजात से स्वयं सिद्ध करे। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 1 जस

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल-तिजारा)

कदर बयान किया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 2 जिस कदर बयान किया गया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने मनगढंत तरीके से बिला मौका बिना कब्जा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण चतुर व चालाक किस्म के लोग है। आज दिनांक तक मौके पर कोई जरीब नही चली व ना ही कोई राजस्व कर्मचारी पैमाईश के लिये गये है। ना ही उपस्थित व आराजी से संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये है। श्रीमान् तहसीलदार जी का प्रार्थना पत्र भी यही तहसील में बैठकर तैयार किया गया है। ना ही उक्त आराजी का अभी तक तकासमा हुआ है। जमाबन्दी अवलोकनार्थ पता चला कि एकपक्षीय विभाजन कराकर गलत तरीके से प्रार्थी जमीन हडपना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 03 जिस कदर बयान किया गया हैं गलत है। स्वीकार नही हैं। मनगढंत व मनमर्जी तरीके से पेश किया गया हैं। अतः श्रीमान् जी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के आराजी ख.नं. 452/123 रकबा 0.2000 है0 व आराजी ख. नं. 454/175 रकबा 0.1200 है0 बाबत पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं. 3 लगायत 6 बाद रजि0 तामिल अनुपस्थित अतः इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 10.10.2024 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 452/173 रकबा 0. 2000 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नं. 454/175 रकबा 0.1200 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की पत्थरगढी कराई जावे कथनों का दोहराया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली का अवलोकन मनन किया। किसी भी खातेदार को अपने रिकार्ड में धारित रकबे का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने व पत्थरगढी करवाने का अधिकार होता है। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवा लिया है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करना उचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 10.10.2024 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 452/173 रकबा 0. 2000 हैक्टेयर व हाल आराजी खसरा नं. 454/175 रकबा 0. 1200 हैक्टेयर वाके ग्राम बनबीरपुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टपूकडा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आदेश दिनांक 11/05/2026 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
टपूकडा (खैरथल–तिजारा)

(लिखन सिंह गुर्जर R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,
टपूकडा (खैरथल–तिजारा)